

छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर

जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़, फोन - 0771-2512580

क्र. 1195 / छ.ग.सं / प्रकाशन / 2025

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 26 / 06 / 2025

होर्डिंग्स के माध्यम से राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार हेतु रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण सूचना

छत्तीसगढ़ संवाद (जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था) द्वारा तीन श्रेणीयों 'अ', 'ब' एवं 'स' के माध्यम से राज्य शासन के जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को मिले व योजनाओं/उपलब्धियों के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु पूर्व में इम्पैनल्ड फर्मों के अतिरिक्त निविदा के अनुमोदित दर पर इस कार्य में रुचि रखने वाले अन्य फर्मों के इम्पैनलमेंट हेतु रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है।

रुचि के अभिव्यक्ति के नियम शर्तों का अवलोकन छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाइट <http://samvad.cg.nic.in> पर किया जा सकता है। प्रारूप एवं नियम शर्तों में संशोधन होने पर संशोधन की सूचना उक्त वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी, पृथक से समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशन नहीं की जाएगी। रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्ताव की तिथि निम्नानुसार है :—

क्र.	निविदा	निविदा प्रपत्र शुल्क, GST सहित (वापसी योग्य नहीं)	अमानत राशि (बिना ब्याज के वापसी योग्य)	रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्ताव प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि (दोपहर 2:00 बजे तक)	रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्ताव प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि (दोपहर 3:00 बजे तक)	रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्ताव प्रपत्र खोलने की अंतिम तिथि (सायं 4:00बजे)
1	होर्डिंग्स 'अ' श्रेणी	2,360/-	5,00,000/-	28 .07 .2025	28 .07 .2025	28 .07 .2025
2	होर्डिंग्स 'ब' श्रेणी	2,360/-	2,00,000/-	28 .07 .2025	28 .07 .2025	28 .07 .2025
3	होर्डिंग्स 'स' श्रेणी	5,90/-	50,000/-	28 .07 .2025	28 .07 .2025	28 .07 .2025

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

छत्तीसगढ़ संवाद

रायपुर, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लाक, सेक्टर- 19, नवा रायपुर अटल नगर

जिला रायपुर ,छत्तीसगढ़

"स" श्रेणी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी विकास खण्ड, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत (सभी जिला मुख्यालय एवं रायपुर शहर तथा नवा रायपुर अटल नगर निवेश क्षेत्र को छोड़कर) हेतु निविदा के अनुमोदित दर पर इम्पैनलमेंट हेतु आमंत्रित रूचि की अभिव्यक्ति का नियम एवं शर्तें

क्रमांक	नियम एवं शर्तें
1	होर्डिंग्स के श्रेणी स मूलतः छत्तीसगढ़ राज्य के सभी विकासखण्ड ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत क्षेत्र में विज्ञापन प्रदर्शन अधिकार प्राप्त वैध होर्डिंग्स होने वाले एजेंसियों से रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित किया जा रहा है। जॉइंटवेंचर/ फेंचाइजी/कंसोरटीयम मान्य नहीं होगा।
2	छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा होर्डिंग्स 'स' श्रेणी के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु निविदा के माध्यम से दर निर्धारण कर फर्मों का इम्पैनलमेंट किया गया है। मूलतः छत्तीसगढ़ राज्य के सभी विकासखण्ड ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत क्षेत्र में होर्डिंग्स के माध्यम से प्रचार प्रसार हेतु राज्य शासन के जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को मिले व योजनाओं/उपलब्धियों के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु पूर्व में इम्पैनल्ड फर्मों के अतिरिक्त अनुमोदित दर पर इस कार्य में रूचि रखने वाले अन्य फर्मों के इम्पैनलमेंट हेतु प्रस्ताव आमंत्रित की जाती है।
3	निविदा के तकनीकी बिड में चाही गयी वांछित सभी दस्तावेज का इंडेक्स तैयार कर इंडेक्स वार बंद लिफाफा में तकनीकी बिड को संलग्न कर लिफाफे के ऊपर निविदा एवं फर्म का नाम लिखकर बंद लिफाफा निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं नियत समय 3:00 बजे तक छत्तीसगढ़ संवाद भवन, नवा रायपुर अटल नगर के द्वितीय -तल में स्थित कक्ष क्र . SF- 10 भण्डार शाखा में जमा करना होगा ।
4	"स" श्रेणी के लिये किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से सत्यापित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 का औसतन 10 लाख रुपए का UDIN अंकित टर्न ओवर प्रमाणपत्र की प्रति लिफाफा के साथ संलग्न करना होगा।
5	"स" श्रेणी के एजेंसी को पैन कार्ड, कर निर्धारण वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 का इन्कमटैक्स रिटर्न (Acknowledgement) की प्रतियां लिफाफा के साथ संलग्न करना होगा।
6	निविदा प्रपत्र शुल्क रु. 590/- जीएसटी सहित (वापसी योग्य नहीं) एवं अमानत राशि रु. 50,000/- (बिना ब्याज के वापसी योग्य) छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाता में ऑनलाईन/ आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से जमा करना होगा एवं पावती/साक्ष्य की प्रति टेक्निकल बिड के साथ जमा करना होगा। छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाता का विवरण निम्नानुसार है:-

Account Name : Chhattisgarh Samvad

Bank Name : Central Bank of India

Branch Name : Civil Line, Raipur (C.G.)

Saving Account No. : 1279040867

IFSC Code No. : CBIN0282321

स्वयं के स्वामित्व के होर्डिंग्स के स्पेस चार्ज (माउटिंग चार्ज सहित) हेतु छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा अनुमोदित दर निम्नानुसार है:-

क्र.	कार्य	अवधि	अनुमोदित दर
1	<p>लाईट होर्डिंग्स - छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिला के सभी विकासखण्ड, ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत क्षेत्र के लाईट होर्डिंग्स में विज्ञापन प्रदर्शन का किराया हेतु प्रति वर्ग फीट के अनुसार दर देवें।</p> <p>8 से 29 दिन की दर, 01 माह के लिए प्राप्त प्रति वर्ग फीट की दर से अनुपातिक रूप से गणना किया जायेगा।</p>	न्यूनतम 7 दिन - (प्रति वर्ग फीट)	25.000
		1 - 3 माह(प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	45.000
		4 - 6 माह(प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	44.000
		7 - 12 माह(प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	44.000
2	<p>बिना लाईट होर्डिंग्स - छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिला के सभी विकासखण्ड, ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत क्षेत्र के बिना लाईट होर्डिंग्स में विज्ञापन प्रदर्शन का किराया हेतु प्रति वर्ग फीट के अनुसार दर देवें।</p> <p>8 से 29 दिन की दर, 01 माह के लिए प्राप्त प्रति वर्ग फीट की दर से अनुपातिक रूप से गणना किया जायेगा।</p>	न्यूनतम 7 दिन - (प्रति वर्ग फीट)	20.000
		1 - 3 माह(प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	30.000
		4 - 6 माह(प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	30.000
		7 - 12 माह(प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	30.000
8	(1) होर्डिंग्स की विकासखण्ड, ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत से स्वयं की स्वामित्व संबंधी वैधता प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। (2) एजेंसियों को विकासखण्ड ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत क्षेत्र में अपने स्वामित्व के स्थापित होर्डिंग्स के स्थान, बिल्डिंग, सड़क तथा विकासखण्ड ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत का कोड नंबर का उल्लेख करते हुए संलग्न करना है। (3) होर्डिंग्स का फोटो एल्बम होर्डिंग्स की साईज एवं होर्डिंग्स लोकेशन मैप की पूर्ण पता का उल्लेख करते हुए टेक्निकल बिड में जमा करना होगा। (4) पैनकार्ड की प्रति संलग्न करना होगा।		
9	निविदा आमंत्रण का उद्देश्य दर निर्धारण एवं पैनल तैयार करने के लिए है। होर्डिंग्स हेतु न्यूनतम आकार 20 x 10 वर्ग फीट का मान्य होगा।		
10	रुचि की अभिव्यक्ति में अनुबंध अवधि निविदा में निर्धारित अवधि तक के लिए मान्य होगी। इसके पश्चात् अवधि में कम, वृद्धि व निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित होगा। कार्य के तत्कालिकता एवं आवश्यकता तथा बेहतर लोकेशन एवं बेहतर Visibility के आधार पर न्यूनतम अनुमोदित दरों में पैनल के एजेंसियों को कार्य आबंटन का पूर्ण अधिकार अति. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।		

11	होर्डिंग्स हेतु निर्धारित अवधि व वांछित आकार, प्रकार एवं संख्या में कमी पाए जाने पर संवाद द्वारा गठित होर्डिंग्स समिति से परीक्षण कराया जायेगा और कायदिश के अनुरूप नहीं होने पर कमी का अंकलन कर उसके अनुरूप देयक से कटौती कर भुगतान किया जायेगा।
12	होर्डिंग्स लगाने की निर्धारित अवधि में Printing Media लगाने, रखरखाव और सुरक्षा के साथ-साथ आवश्यकता होने पर इसे बदलने का कार्य एजेंसी का होगा। मीडिया/ मटेरियल माउंटिंग हेतु अतिरिक्त व्यय देय नहीं होगा। संबंधित विभाग/कार्यालय के अधिकारियों से प्रमाणित संतोषजनक कार्य संपादन संबंधी प्रमाण-पत्र, एवं दिनांक उल्लेखित प्रमाणित छायाचित्र की दो प्रतियां जिसमें होर्डिंग्स की लोकेशन, अवधि एवं साईज उल्लेखित हो देयक के साथ प्रस्तुत करना होगा।
13	सम्बंधित विभागों से छत्तीसगढ़ संवाद को देयक का भुगतान प्राप्त होने के पश्चात ही संबंधित एजेंसी के देयकों का भुगतान किया जाएगा , कार्य हेतु किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा एजेंसी द्वारा कार्य पश्चात 21 दिवस के भीतर फोटोग्राफ्स एवं सत्यापन प्रमाण पत्र के साथ देयक छत्तीसगढ़ संवाद में प्रस्तुत करना होगा। छत्तीसगढ़ संवाद शासन की एक एजेंसी है एवं संबंधित विभाग के कायदिश अनुरूप फर्मों से कार्य कराया जाता है इसलिए संबंधित विभाग द्वारा कार्य एवं देयक सत्यापन पश्चात भुगतान करने पर कार्य पूर्ण माना जायेगा जीएसटी अधिनियम के तहत निर्धारित तिथि के अन्दर एजेंसी को देय जीएसटी का भुगतान सुनिश्चित करना होगा।
14	अनुमोदित दर में मीडिया मटेरियल मुद्रण की दर शामिल नहीं होगा संवाद द्वारा पृथक से मीडिया/ मटेरियल के मुद्रण हेतु अनुमोदित दर राशि रु . 6/- प्रति वर्ग फीट देय होगा आमंत्रित रूचि की अभिव्यक्ति मीडिया/मटेरियल का मुद्रण छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा निर्धारित गुणवत्ता, आकार-प्रकार अनुसार करना अनिवार्य है, मुद्रण सामग्री के आकार में कमी होने पर 2 .5 प्रतिशत तथा मुद्रण की गुणवत्ता/जीएसएम में कमी होने पर 2 .5 प्रतिशत एवं दोनों कमी पाये जाने पर 5 प्रतिशत दर पर अनुपातिक दर के अतिरिक्त पेनाल्टी कटौती की जायेगी। पेनाल्टी तय करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।
15	छ.ग. शासन के किसी भी उपक्रम निगम, मंडल, विश्व विद्यालय स्ववित्तपोषी संस्था द्वारा काली सुची मे डाले गये फर्म निविदा मे भाग नही ले सकते। इस सम्बन्ध मे निर्धारित प्रारूप में फर्म को नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ - पत्र प्रस्तुत करना होगा कि फर्म को कहीं भी काली सुची मे नही डाला गया है एवं शपथ पत्र कि मूल प्रति (हार्डकॉफी) निविदा दस्तावेज के साथ बंद लिफाफे में निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं नियत समय अपराह्न 3:00 बजे तक छत्तीसगढ़ संवाद भवन, नवा रायपुर अटल नगर के द्वितीय -तल मे स्थित कक्ष क्र . SF- 10 भण्डार शाखा मे जमा करना होगा ।
16	छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा उपलब्ध कराये गये निगरानी ऐप में लगाये गये होर्डिंग्स का फोटो अपलोड करना होगा। फोटो 02 बार (प्रथम बार फ्लैक्स लगाने तथा द्वितीय बार होर्डिंग्स डिस्प्ले हेतु निर्धारित अवधि की अंतिम तिथि) उपलब्ध कराना होगा। यदि आपका फ्लैक्स परिवर्तित होता है तो उस स्थिति में पूर्व में लगाये गये फ्लैक्स की अंतिम अवधि की फोटो तदपश्चात आपको परिवर्तित फ्लैक्स का फोटो अपलोड करना होगा।
17	एजेंसी के पास छत्तीसगढ़ राज्य के जिला मुख्यालयों के अलावा प्रत्येक विकास खण्डों में से कम से कम 15 विकास खण्डों में कम से कम 2-2 होर्डिंग्स अर्थात् कम से कम कुल 30 होर्डिंग्स हो जो स्वंय के स्वामित्व का हो, जो स्थानीय विकास प्राधिकरण निकाय, ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत से वैध हो। छत्तीसगढ़ संवाद में सूचीबद्ध होर्डिंग की वैधता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

18	जन, धन एवं थर्ड पार्टी की सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बंधित होर्डिंग्स एजेंसी की होगी। किसी भी प्रकार की क्षति के लिए छत्तीसगढ़ संवाद उत्तरदायी नहीं होगा समस्त शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं से यथा आवश्यक अनुमति /प्रमाण पत्र/NOC होर्डिंग्स एजेंसी के पास होनी चाहिए।
19	कार्य संपादन पश्चात् सत्यापन प्रमाण पत्र एवं फोटोग्राफ्स के साथ 21 दिवस तक एजेंसी द्वारा देयक प्रस्तुत नहीं करने पर एजेंसी को देयक प्राप्त होते तक अन्य कार्य का आबंटन नहीं किया जायेगा।
20	शासन द्वारा लागू जीएसटी का पृथक से भुगतान किया जायेगा।
21	स्वयं के स्वामित्व वाले लाईट होर्डिंग्स, बिना लाईट होर्डिंग्स के संबंधित निकाय से जारी वैध होर्डिंग्स की सूची निविदा में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
22	इपैनलमेंट पश्चात् फर्मों द्वारा अनुबंध अवधि के दौरान नवीन होर्डिंग्स स्थापित करने पर छ. ग. संवाद की सूची में सूचीबद्ध करने हेतु प्रत्येक तिमाही में दिनांक 1 से 10 तारीख के बीच में ही वैधता दस्तावेज के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
23	जन, धन एवं थर्ड पार्टी की सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बंधित होर्डिंग्स एजेंसी की होगी। किसी भी प्रकार की क्षति के लिए छत्तीसगढ़ संवाद उत्तरदायी नहीं होगा समस्त शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं से यथा आवश्यक अनुमति/प्रमाण पत्र/NOC होर्डिंग्स एजेंसी के पास होनी चाहिए।
24	एजेंसी द्वारा रूचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने का आशय यह होगा कि फर्म को उपरोक्त रूचि की अभिव्यक्ति के सभी नियम एवं शर्तें मान्य हैं।
25	जिस निकाय से फर्म को स्थापित होर्डिंग की रसीद/ अनुमति प्राप्त होगी उसी निकाय में होर्डिंग्स को सूचीबद्ध किया जायेगा।
26	रूचि की अभिव्यक्ति स्वीकृत होने पर निविदाकार फर्म को राशि रु. 100/- के स्टाम्प पर छत्तीसगढ़ संवाद नवा रायपुर के साथ निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित कर नोटरी से सत्यापित कराना होगा।
27	पैनल में सूचीबद्ध फर्म द्वारा L1 दर में कार्य करने में किसी भी प्रकार की असमर्थता यथा समय सीमा, तकनीकी समस्या या अन्य कोई कारण जाहिर करता है एवं कार्य नहीं करने की स्थिति में फर्म को आगामी तीन माह तक कोई कार्य / कार्यादेश नहीं दिया जायेगा। उक्त कार्यावधि के पश्चात् दोबारा उक्त स्थिति निर्मित होने पर संबंधित फर्म को 1 वर्ष के लिए ब्लेक लिस्टेड एवं अमानत राशि राजसात किया जायेगा।
28	तकनीकी बिड खोलने के पश्चात् निविदाकार द्वारा निविदा withdraw करने की स्थिति में अथवा निविदाकार द्वारा जमा कोई दस्तावेज / जानकारी गलत या जाली साबित होती है तो निविदाकार द्वारा जमा अमानत राशि जब्त किया जाएगा।
29	आबिट्रिशन (मध्यस्थता):- किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आबिट्रिशन-प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जायेगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
रायपुर

(रु. 50/- के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ-पत्र निविदा के टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करना होगा)

शपथ—पत्र

मैं _____ संस्था प्रमुख निवासी _____ छत्तीसगढ़ संवाद

द्वारा जारी निविदा हेतु प्रारूप, निर्धारित नियम एवं शर्त का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के पश्चात ही उपरोक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। हमारे फर्म द्वारा वैधानिक देय राशियों का शासन की संबंधित खातों में जमा किया गया है, कोई देय राशि बकाया नहीं है। उपरोक्त आवेदन में अंकित कोई भी जानकारी अपर्याप्त/अधूरी या फिर गलत पाई जाती है तो इसे अस्वीकार/निरस्त करने का तथा हमारी संस्था को ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद को होगा। इस बारे में मेरे या संस्था के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की अपील या आपत्ति किसी क्षेत्र में नहीं की जायेगी। मुझे छग संवाद की उपरोक्त निविदा से संबंधित सभी नियम एवं शर्तें स्वीकार हैं।

यह कि हमारी संस्था _____ किसी शासकीय और अर्द्ध शासकीय विभाग/ निगम/ मंडल इत्यादि द्वारा ब्लैक लिस्टेट (काली सूची) नहीं की गई है।

स्थान _____

दिनांक _____

हस्ताक्षर

(पूरा नाम)

संस्था का नाम व मोहर